



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

27 आश्विन 1938 (श0)
(सं0 पटना 912) पटना, बुधवार, 19 अक्टूबर 2016

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचनाएं
18 अक्टूबर 2016

सं0 11/अधि0 कार्या0-01-06/2016/4027—बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा-3 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार निम्नलिखित औषधीय घटक वाले दावाओं अथवा औषधीय निर्मिति को उपरोक्त अधिनियम के प्रयोजनार्थ मादक द्रव्य अधिसूचित करती है -

(i) Codein

(ii) Dextropropoxyphene

2. इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के 30 दिनों के बाद, उपरोक्त घटक वाले कोई भी औषधि अथवा औषधीय निर्मिति -

- (i) बिहार ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 के अधीन किसी विद्यमान अथवा नये अनुज्ञप्तिधारी द्वारा, विधि पूर्वक निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत विधिमान्य पुर्जा के वगैर नहीं बेची जाएगी, और
- (ii) कोई व्यक्ति जो प्रामाणिक रोगी नहीं है और जिसके पास विधि पूर्वक निबंधित चिकित्सक द्वारा निर्गत वैध पुर्जा नहीं है, उपभोग नहीं करेगा, और
- (iii) ड्रग एण्ड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा-18(c) के परंतुक के अधीन निर्गत अनुज्ञप्ति के बिना, किसी विद्यमान अथवा नया खुदरा बिक्रेता अथवा थोक विक्रेता अनुज्ञाधारी द्वारा भंडारित अथवा खरीद नहीं की जायेगी।

परन्तु सरकारी अस्पताल तथा सरकारी संस्थान के लिए लागू नहीं होगा, और

- (iv) अधिनियम के अधीन समाहर्ता द्वारा निर्गत विधिमान्य अनुज्ञप्ति अथवा परमिट के बिना, का विनिर्माण, बोतलबंदी, वितरण, कब्जा, संचलन, पारगमण, आयात अथवा निर्यात नहीं किया जायेगा।

3. यह अधिसूचना तुरत प्रवृत्त होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

18 अक्टूबर 2016

सं० 11/अधि० कार्या०-01-06/2016/4027—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार—राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,
आमिर सुबहानी,
सरकार के प्रधान सचिव।

The 18th October 2016

No. 11/Adhi. Karya.-01-06/2016/4027—In exercise of the powers conferred under Section 3 of the Bihar Prohibition and Excise Act, 2016, the State Government hereby notifies all medicines or medicinal preparations containing the following medicinal ingredients to be intoxicants for the purposes of the aforementioned Act :-

- (i) Codein
- (ii) Dextropropoxyphene

2. No medicines or medicinal preparations containing the above mentioned ingredients shall, from the expiry of 30 days from the date of publication of this Notification in the official Gazette -

- (i) be sold by any existing or new licensee under the Drug and Cosmetics Act, 1940, without a valid prescription duly issued by a Registered Medical Practitioner; and
- (ii) be consumed by any person who is not a bonafide patient and who does not have a valid prescription duly issued by a Registered Medical Practitioner; and
- (iii) be stored or purchased by any existing or new retail or wholesale licensee under the Drug and Cosmetics Act, 1940, without a license issued under the proviso to Section 18 (c) of the Act.
Provided that nothing in this para shall apply to the Gov, Hospitals/ Govt, Institutions, and
- (iv) be manufactured, bottled, distributed, possessed, transported, transited, imported or exported without a valid license or permit issued by the Collector under the Act.

3. This notification shall come into force at once.

By Order of the Governor of Bihar,
AMIR SUBHANI,
Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 912-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>